प्राथमिकता/तत्काल

संख्या 777/9–न0भू0/135यू0सी0/99.2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश,
   जवाहर भवन, लखनऊ।
2. **जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,**
   नगर भूमि सीमारोपण,
   लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर
   मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 1 फरवरी, 2000

विषय :नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम,1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरसन अधिनियम,1999 की धारा–4 के अनुसार मूल अधिनियम,1976 के अन्तर्गत लम्बित वाद व अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थीं, उपशमित हो जायेगा लेकिन निरसन अधिनियम की धारा–4 के परन्तुक (प्रोविजों) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा–11, 12, 13, 14 से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां चालू रहेगी एवं मूल अधिनियम की धारा–33 एवं 34 के अन्तर्गत चल रहे वादों के उपशमन हेतु सम्बन्धित सक्षम न्यायालय अधिकरण या प्राधिकारी के संज्ञान में लाने हेतु तत्सम्बन्धित आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा तभी न्यायालय कथित प्राविधान का संज्ञान लेकर वादों को उपशमित कर सकेगा।

मूल अधिनियम की धारा–10 (3) के प्राविधान के अन्तर्गत जो भूमि राज्य में निहित नहीं हुयी है, उस भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा किये जाने का औचित्य नहीं है भले ही इस भूमि को सरप्लस घोषित किया गया हो। मूल अधिनियम की धारा–8(4) के अन्तर्गत जो भूमि रिक्त घोषित की गयी थी और धारा–10 (3) के अन्तर्गत राज्य में निहित हो चुकी थी एवं धारा–10(5) की कार्यवाही का आदेश हो चुका था लेकिन इस भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं प्राप्त हो सका था। इस प्रकार के प्रकरण निरसन अधिनियम की धारा–3(2) के अनुसार यदि शासन द्वारा प्रश्नगत भूमि के बाबत भू–धारक को कोई धनराशि अदा कर दी गयी थी। यदि राज्य सरकार द्वारा अदा की गयी धनराशि वापस करने की दशा में भू–धारक को प्रश्नगत भूमि प्रत्यावर्तित की जा सकती है। किन्तु अदा की गयी धनराशि भू–धारक द्वारा वापस न करने की दशा में भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाय।

अतः न्याय विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुक्रम में प्रचलित वादों के उपशमन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु वस्तुस्थिति सम्बन्धित न्यायालय के संज्ञान में लाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। सभी प्रश्नगत वादों में उपशमन हेतु आवेदन दिनांक 29–2–99 तक लगा देने चाहिये। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये क त कार्यवाही से शीघ्र शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, अलीगढ़, मेरठ।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

आज्ञा से,
दीनदयाल
संयुक्त सचिव।